



राष्ट्रीय लोक अदालत, औरंगाबाद

राष्ट्रीय लोक अदालत वाद संख्या :- 05

Comp-878/22

Tr-1052/23

Birbal Mr. Mehta

VLD

Pankaj Mr. Singh

दैनिक कार्यवाही विवरणी

दिनांक	कार्यवाही	अध्यक्ष
13-05-23	परिवारी एवं एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजिर एवं आपीना पत्र दिया गया। वाद का फुलर दिया गया। उभय पक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित हुए। परिवारी ने कहा कि उभय पक्ष के मध्य सौल्य हो चुकी है एवं उन्हें अभियुक्त से बकाया राशि मो. 1,00,000/- 200 प्राप्त हो गया है। परिवारी ने कहा कि अब कोई विवाद शेष नहीं है तथा वाद को निष्पादित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद को सौल्य हो आपात पर निष्पादित किया जाता है। <u>13/05/23</u>	अध्यक्ष Pankaj Mr. Singh 13/05/23





पंचाट पत्र (एवार्ड)

राष्ट्रीय लोक अदालत, औरंगाबाद

Bench No-05

दिनांक 13.05.23

वाद संख्या Comp- 878/22

सं. - 1052/23 सन्

न्यायालय Sri Sachin Kumar, 1st class, Aurangabad अन्तर्गत धारा/अधिनियम के साथ

वादी का नाम Birbal Kumar Mlehta

प्रतिवादी का नाम Pankaj Kumar Singh

4. पंचगण (बेंच) का नाम

✓ 13.05.23

पीठासीन पदाधिकारी

(न्यायिक सदस्य)

(1) Sri Yogesh Kumar Mishra, SDJM, Aurangabad

(2) Sri Naveen Kumar, Advocate

(3) —

5. फैसले का संक्षिप्त विवरण - वाद को सोल्व कर आग्रार पर
निष्पादित किया जाता है।

Birbal M
Mishra
13/5/23

हस्ताक्षर वादी/प्रार्थी



Pankaj Kumar Singh

हस्ताक्षर प्रतिवादी

Yogesh
13.5

लोक अदालत पंचों का हस्ताक्षर एवं तिथि
13.05.23